संख्या-5/2015/1770 ई-1/तेरह-2014-127(6)/2004

प्रेषक,

मोहम्मद जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊ:: दिनांकः 03 फरवरी, 2015

विषयः- आबकारी विभाग के निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुए वाहन के स्थान पर नये प्रतिस्थानी वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-सी 2815/एक-लेखा-16(गाड़ी)/वाहन क्रय] दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आबकारी विभाग के निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुए 02 टाटा सूमो, वाहन संख्या-यू0पी0 32, ए.ए. 8713 तथा यू0पी0 15एम/3750, 03 अम्बेस्डर कार, वाहन संख्या-यू0पी0 80 आर./1881, वाहन संख्या-यू0पी0 32ए.के./3116 तथा वाहन संख्या-यू0पी0 32ए.ए./8632 एवं 01 अर्मदा वाहन संख्या-यू0पी0 70 यू/5447, इस प्रकार कुल 06 निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर प्रतिस्थापन स्वरूप 03 मारूति सुजुकी डिजायर जेड.एक्स.आई. माडल (प्रति मारूति सुजुकी जेड.एक्स.आई. माडल का डी0जी0एस0 एण्ड डी0 रेट रू0 6,11,177/-) तथा 03 बोलेरो एल.एक्स माडल वाहन क्रय किये जाने हेतु (प्रति बोलेरो एल.एक्स. का डी0जी0एस0 एण्ड डी0 रेट रू0 5,41,216) अर्थात कुल 06 प्रतिस्थानी वाहनों के क्रय हेतु कुल रू0 34,57,179/- (रूपये चैंतीस लाख सत्तावन हजार एक सौ उन्यासी मात्र) को व्यय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

3. उक्त वाहनों का क्रय समय-समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों/प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित् करते हुए डी.जी.एस. एण्ड डी. रेट कान्ट्रैक्ट की दर के अनुसार किया जायगा तथा क्रय किये जाने वाले वाहनों की गुणवत्ता तथा दर की वैधता सुनिश्चित् कर ली जायेगी। यह भी सुनिश्चित् किया जायेगा कि

http://shasanadesh.up.nic.in

निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर पूर्व में नया वाहन न क्रय किया गया हो। किसी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा।

4. उक्त वाहनों के क्रय पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-01-लेखाशीर्ष-"2039 राज्य उत्पाद शुल्क-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधीक्षण-14-मोटर गाड़ियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-9-36/दस-2015 दिनांक 02.02.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

मोहम्मद जुनीद,
संयुक्त सचिव।

संख्या-5/2015/1770(1) ई-1/तेरह-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9.
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1.
6. बजट पत्रावली, आबकारी अनुभाग-1
7. आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
ह0/-
(मोहम्मद जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://shrmadesh.up.nic.in